संख्या-267/2026/आई0/1511263/2026-5-6099/11/2026-6-

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर की सेवाओं की निरन्तरता हेतु स्वीकृत बजट की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर/2026-27/3340, दिनांक 16.07.2026 एवं पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर/2026-27/5263, दिनांक 28.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर की सेवाओं की निरन्तरता हेतु स्वीकृत बजट की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर की सेवाओं की निरन्तरता हेतु व्यय की नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन की राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-81/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जाये कि डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 फील्ड वालिंटियर की सेवायें दिनांक 31.03.2027 तक ही ली जायें। तत्पश्चात उच्चस्तर से पुन: समीक्षा की जायेगी।
4. डब्लू0एच0ओ0-एन0पी0एस0एन0 की गाईड लाइन/एन0एच0एम0 के एम0ओ0यू0 की शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा ।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 036 **लेखाशीर्षक** 2210061010600 वैक्सीन प्रिवेन्टिबल डिजीज सर्विलान्स एवं नियमित टीकाकरण, सुदृढीकरण गतिविधियों हेतु मानिटरिंग नेटवर्क **मानक मद-**42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-160/दस-2026-27, दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन ।
6. निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, एन0पी0-सी0डी0/आर0आई0/एच0आर0, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त् जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार/मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/वी0बी0डी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
13. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
15. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।